

फर्द अहकाम
 राधादेवी बनाम गांध्या

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 (फास्ट ट्रेक) आंध्र प्रदेश, जयपुर
 दिनांक 06/11

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/8/19	<p>पगावली पेशा डेडी वादी मध्य अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी व वादी अधिवक्ता को सात 8:30 तक बार बार आवाज लगावा है। 11:30 बार बार आवाज लगावने के उपरान्त भी वादी मध्य अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पगावली को अवलोकन किया गया। वादी व वादी अधिवक्ता गत तारीख पेशी पर भी अनुपस्थित रहे थे। इससे पूर्व भी स्वयं के दो प्रस्ताव अर्पित किए 0-6-17 धारा 157 दिनांक 04-07-18 हेतु अर्द्ध हेतु मित्रों के द्वारा किया जाने के उपरान्त भी अर्द्ध प्रस्ताव नष्ट हो चुके हैं। मित्रों के पद स्पष्ट नहीं है। हालांकि कि वादी की प्रकृति में कोई रोक नहीं है। मित्रों के गत तारीख पेशी पर एवं आज्ञा की अनुपस्थिति भी रहे है। अतः वादी वादी अर्द्ध इत्यादि अर्द्ध पेशी में जारी किया जाता है। पगावली प्रस्ताव शुभ होकर दर्ज न करने के लिए वादी को शक्ति प्रदान है।</p>	

